Assistance for Fairs and Festivals to States

3645. SHRI S. B. SIDNAL: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government extend financial assistance to various fairs and festivals of national importance being celebrated in different States;

(b) if so, the amount provided to the Karnataka Government for the colourful and spectacular Dussehra Festival annually; and

(c) whether it is proposed to increase the amount of assistance so that the Dussehra Festival may be organised on a still grander scale; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): (a) No, Sir, not as a general rule. However, financial assistance could be considered in specific cases if relevant to the promotion of international tourism.

(b) No amount has been provided to the Karnataka Government for organising the Dussehra festival.

(c) Does not arise.

World Bank's Massive Aid for Energy Production

3646. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that World Bank is launching a massive aid programme to facilitate energy production in the world; and

(b) whether Government have tried to find out the Bank's projects for hydel thermal and coal energies?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) and (b). A proposal to set up an Energy Affiliate of the World Bank is under consideration. The likely quantum of assistance, types of projects to be assisted by the proposed agency, the terms and conditions thereof and the eligibility criteria etc. are still under consideration. Hence the question of assistance for specific projects for hydel thermal and coal energies does not arise at this stage.

कांडला पत्तन का विकास

3647. **श्री मोतीभाई आर. चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कांडला को मुक्त क्षेत्र पत्तन के रूप में विकसित करने के संबंध में नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने वे सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और यदि हां, तो कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) कांडला पत्तन के कर्मचारियों की महीनों लम्बी हड़ताल के कारण क्तिनी हानि हुई और हड़ताल को टालने के लिये यथासमय उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां): (क) तथा (ख). 1978 में दो समितियां नियुक्त की गई थीं, एक कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास में बाधक समस्याओं की जांच करने के लिए और दूसरी कांडला पत्तन के माध्यम से आयात तथा निर्यात व्यापार के विकास पर विचार करने के लिए इन दोनों रिपोर्टों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । जबकि कुछ प्रमुख सिफारिशें कुल मिलाकर कार्यान्वित कर दी गई हैं ; अन्य विचार तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । प्रमुख सिफारिशों में से अधिकांश के संबंध में की गई कार्यान्वयन संबंधी कार्यवाही की प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) हाल ही की विगत अवधि में कांडला पत्तन न्यास के कर्मचारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई । तथापि, कान्डला

गांदी श्रमिक बोर्ड के पंजीकृत गांदी कर्मचारियों द्वारा 30-9-1980 से 3-11-1980 तक "धीरे काम करो" आन्दोलन चलाया गया था । आन्दोलन की अवधि के दौरान व उससे पूर्व परिवहन तथा गांदी कर्मचारियों और कान्डला पत्तन न्यास प्राधिकारियों के बीच वार्ताएं चली और संघ नेताओं से स्थिति सामान्य बनाने की अपील की गई। अन्ततः "धीरे काम करो" आन्दोलन वापस लेलिया गया और 3-11-1980 से पुनः स्थिति सामान्य हो गई । "धीरे काम करो" आन्दोलन अवधि के दौरान बताया जाता है कि कुछ जहाजों का कान्डला पत्तन से मार्ग बदला गया परन्तु उसके फलस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि की मात्रा बताना संभव नहीं है ।

विवरण

कौल समिति की दो रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई की प्रगति

(क) कांडला पत्तन के जरिए आयात व निर्यात व्यपार के विकास से संबंधित कौल समिति की रिपोर्ट ।

जबकि कौल समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें कुल मिलाकर कार्यान्वित कर दी है तथापि अन्य सिफारिशें विचार तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । इस समिति की अधिकांश मुख्य सिफारिशों के बारे में कार्यान्वयन संबंधी कारवाई की प्रगति संक्षेप में निम्नोक्त प्रकार है:

(1) कांडला पत्तन न्यास ने पहले ही, तरल तथा सूखे बल्क माल के लिए प्रतिरिक्त भण्डारण क्षमता के निर्माण के वास्ते आवश्यक उपाय कर लिए है और भण्डारण क्षमता में पहले ही पर्याप्त वृद्धि हो भी चुकी है । कांडला पत्तन न्यास ने मोबाइल क्रेनों तथा फोर्कलिफ्टों आदि जैसे विभिन्न अतिरिक्त हैंडलिंग उपस्कर भी प्राप्त कर लिए है। पत्तन प्राधिकारियों ने न केवल लाइनर जलयानों के लिए पत्तन प्रभार कम कर दिये बल्कि निर्यात माल के लिए 15 दिन तक निःशुल्क अवधि भी बढ़ा दी है । पत्तन ने व्यापार संवर्धन के लिए भी एक नीति बना ली है ।

(2) राज्य व्यापार निगम ने कांडला पत्तन के जरिए पहले से ही खाद्य तेल के आयातों व शीरे के निर्यातों की मात्रा बढ़ा दी है।

(3) रेल मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय रेलवेज को, उनकी प्रदत्त शक्तियों के भीतर वाणिज्यिक औचित्य पर स्टेशन से स्टेशन तक भाड़ा दरें बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने कांडला पत्तन तक बड़े गेज वाली लाइनों में लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्य की अनुमति भी दे दी है ।

(4) डाक तथा तार प्राधिकारियों ने प्राथमिकता आधार पर 50 से 100 लाइनों तक टैलेक्स सुविधाएं बढ़ाने के लिए उपाय कर लिए है । एक विदेश डाक घर खोला गया है ।

(5) पालमपुर पर यातान्तरण सहित रेल-सह-सड़क परिवहन की संभावना की सिफारिश की विस्तृत जांच की गई लेकिन आर्थिक तौर पर व्यवहार्य नहीं समझी गई ।

(6) गांधी धाम नगरपालिका की सीमाओं तथा कांडला पत्तन न्यास के मध्य पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8-ए का एक भाग भारत सरकार ने ले लिया है ।

(7) भारतीय जहाजरानी कम्पनियों ने कांडला से ब्रिटेन/महाद्वीप तक बारी-बारी से हर महीने कम से कम एक नौचालन (सेलिंग) उपलब्ध कराने पर सहमति दी है । कांडला में एक सीमेन्स क्लब का निर्माण किया गया है ।

(8) गुजरात सरकार ने बिजली की सप्लाई बढ़ाने और अधिक पेय जल उपलब्ध कराने, घर तथा होटल आवास का निर्माण करने, बस स्टैण्ड बनाने, किराए के औद्योगिक भवनों आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए है ।

(ख) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास में रुकावट डालने वाली समस्याओं पर कौल समिति की रिपोर्ट ।

समिति की सिफारिशें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में आती हैं अर्थात्, क्रिया-विधि, अवस्थापना तथा वित्तीय/सीमा-शुल्क/उत्पादन शुल्क संबंधी संशोधित अधि-सूचनाएं जारी करके क्रिया विधि संबंधी पहलुओं को सरल और कारगर बनाने के लिए कतिपय उपाय किए गए हैं लेकिन इस संबंध में कुछ और सरलीकरण की आव-श्यकता है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

जहां तक अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का संबंध है कांडला के साथ सीधा हवाई संबंध स्थापित करना अभी संभव नहीं है, हालांकि भुज तक हवाई सेवा उपलब्ध है ।

टेलिफोन तथा टेलेक्स सुविधाओं में सुधार लाने संबंधी मामले में कार्यवाही की जा रही है । कांडला के लिए रेल सेवाओं में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

जहां तक वित्तीय उपायों का संबंध है, उन एककों को 1-10-79 से विपणन विकास सहायता निधियों में से केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी की अनुमति दी जा रही है । परिवहन उपदान की दर निर्यातों के एफ. ओ.बी. मूल्य के एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है । आयकर अधि-नियम के अंतर्गत उपलब्ध विद्यमान रियायतों के स्थान पर आयकर अवकाश की मंजूरी संबंधी प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में संगत शुल्कों के भुगतान पर वैध सामान्य मुद्रा क्षेत्र के आधार पर सीमित बिक्रियों के लाइसेंस दिए जा सकते हैं ।

सरकार, इस विषय पर व्यापक कानून बनाकर मुक्त व्यापार क्षेत्रों को सांविधिक आधार देने पर भी विचार कर रही है ।

Review of Wealth-Tax Act, Estate Duty Act and Gift Tax Act

3648. SHRI N. E. HORO:
SHRI G. Y. KRISHNAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have re-examined the provisions of the Wealth-tax Act, 1957, the Estate Duty Act; 1953 and the Gift Tax Act, 1958 to review or raise the basic exemption limits for assessees, in the light of the erosion in the value of the Rupee, since these exemption limits in these Acts are out-moded and causing hard-ships to assessees; and

(b) if not, what steps are being taken by Government to review these three enactments with a view to giv-ing relief to assessees, at least in the basic rates of exemptions in relation to the eroded value of the Rupee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SWAISINGH SISODIA): (a) and (b). The basic exemption limits under the direct tax enactments are under con-stant review by the Government. The Finance (No. 2) Act, 1980 has raised the exemption limit under the Wealth-tax Act from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakhs. Government have under their consideration proposals for appro-priately raising the basic exemption limit under the Estate Duty Act.

Frozen Frog Legs and Frozen Sea Foods Exported from India

3649. SHRI A. NEELALOHITHA-DASAN: Will the Minister of COM-MERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that frozen frog legs and frozen sea foods exported from India are pro-cessed and packed without adequate care to eradicate salmonella in the exported consignments; and

(b) whether the Marine Products Export Development Authority has at present, any powers which can be effectively exercised to insist upon exporters of frog legs and sea foods that adequate anti salmonella pro-cesses be necessarily employed in pre-paring exportable consignments?